FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...अति० जिला कलक्टर...मुकाम...नीमकाथाना

...सलीम खान...बनाम...नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा...अपील...नम्बर...25 वर्ष...2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/4/22	रिर्पोट सारिस्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०/अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विरुद्ध रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 05/5/22 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
	5/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० कि ओर से रीडर नायब तहसीलदार नीमकाथाना उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 हे में से 0.045 हे भूमि पर दीवार लगाकर मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गांव कि रंजिश व द्वेषता के कारण गलत रिर्पोट पेश कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिर्पोट में अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी नही लिखा है। अपीलान्ट [illegible] से जवाब अपीलान्ट द्वारा [illegible] थे उनका व दस्तावेज जो पेश [illegible] है। निर्णय में कोई [illegible] किया गया इस प्रकार जो [illegible] है जो न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है।	

[signature]
(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। जो मकान बना हुआ है जो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। तथा मकान मे बिजली कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के मकानो के चारो ओर पूरी आबादी बसी हुई है। वर्ष 2022 में संशोधन विधेयक 23-3-2022 में राजस्थान विधान सभा मे पारित किया गया है। जिसमे यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालो व पानी के बहाव क्षेत्र व मन्दिर माफी की जमीन को छोड़कर अन्य बसी हुयी कालोनी व आबादी मे 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी कालोनी के पट्टे दिये जा सकेगें। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजो की बैंच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजि अचल सम्पति पर लिमिटेशन परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है। जबकि सरकारी अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि में कदीम से जो मकान बनाये हुए है जिनका दिनांक 28-1-2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बन्धित राज० सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह मे बसी आबादी क्षेत्र के आबादीय मकानो को वहाँ से नही हटाकर वहाँ के पट्टे जारी किये जावेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2022 को अपास्त फरमाया जावें।
	रेस्पो० द्वारा अपील से सम्बंधित मूल पत्रावली पेश कि गई। जो शामिल पत्रावली की गई।
	वकील [illegible] की बहस पर मनन किया अपील पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का खेड़ा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 25/22	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जो धारा 91 L.R. Act कि रिर्पोट पेश की गई जिसमे भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 है किस्म चारागाह मे अपीलान्ट द्वारा 0.045 है० पर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश किए जो पत्रावली में शामिल है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नही किया है। रिर्पोट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिर्पोट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमे माप नही लिख रखा है। एवं ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शा में नही है। तथा ना ही चारो तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिर्पोट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिर्पोट वास्तविक तथ्यो के विपरीत पेश कि गई है। जिसमें अतिक्रमित रकबे की दिशाओ का नाप जोख भी नही लिखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-2022 को जो निर्णय पारित किया गया है उससे पूर्व समस्त तथ्यों की जांच किये बिना ही किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये है उनकी पुष्टि होती है। तथा प्रस्तुत अपील को बल मिलता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाकर [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-3-22 अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट न्याया. तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमें चारो दिशाओं का सही नाप जोख लिखा जाकर, अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुन: निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट • नीमकाथाना (सीकर) •

(अनिल कुमार)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:30 IST
Reason: SelfAttested